

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(6356)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/ 00/60/2018

जयपुर, दिनांक : 27/04/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सूचना सहायकों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। निम्न सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	सूचना सहायक का नाम	पदस्थापन विभाग	परीक्षा का नाम जिसकी अनुमति चाही गई
1.	3775	श्री संजय कुमार बैरवा	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति टोडाभीम, जिला करौली	SSC द्वारा आयोजित Scientific Assistant
2.	3636	सुश्री सरोज कुमारी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू	DSSSB द्वारा आयोजित PGT Computer Science
3.	2346	श्री संदीप कुमार स्वामी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़	1-DSSSB द्वारा आयोजित PGT Hindi Male 2-Board Of Sec. Edu. Rajasthan द्वारा आयोजित REET 2017 3-HTET-2017 4-UGC NET HINDI 2018
4.	2498	श्री शक्ति सिंह	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति घडसाना, जिला श्रीगंगानगर	SBI Bank द्वारा आयोजित CLARK
5.	1864	श्री संदीप	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू	DSSSB द्वारा आयोजित PGT Computer Science
6.	W-55	श्री शोभित गुप्ता	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति बाडी, जिला धोलपुर	1-ISRO द्वारा आयोजित Scientist/Engi. Somputer Science 2-IBPS द्वारा आयोजित Specialist Officer
7.	110	श्री श्रीराम सैनी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला बाडमेर	SSC द्वारा आयोजित CGL एवं Departmental Officer's
8.	1865	श्री शंकर लाल जिंजर	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति फलोदी, जिला जोधपुर	1-SSC द्वारा आयोजित Scientific Assistant 2- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित Program Assistant (Computer)
9.	1421	श्री शैलेश सोनी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति रोहत, जिला पाली	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित Program Assistant (Computer)
10.	2312	श्री संजय	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति बुहाना, जिला झुंझुनू	DSSSB द्वारा आयोजित Dass Grade-II
11.	1579	श्री सुमेर राम चौधरी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला जोधपुर	NIELIT-NIC द्वारा आयोजित Scientific/Technical Assistant-A
12.	1682	श्री सुरेन्द्र कुमार	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला झुंझुनू	RPSC द्वारा आयोजित Senior Teacher, Grade II
13.	2956	श्री सुरेन्द्र कटारिया	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला बाडमेर	SSC द्वारा आयोजित Multiple Post

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

14.	1985	श्री संजय सैनी	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति करौली, जिला करौली	SSC द्वारा आयोजित Scientific Assistant
15.	338/11	श्री सजना राम	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला पाली	Board Of Sec. Edu. Rajasthan द्वारा आयोजित REET 2017
16.	1594	श्री सौरभ नागर	कार्यालय निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जिला अजमेर	1-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी 2-RPSC द्वारा आयोजित समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षता सलाहकार ग्रुप- II 3- RPSC द्वारा आयोजित उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 5- UPSC द्वारा आयोजित Civil Services Exam 2018
17.	3125	शिप्रा शर्मा	कार्यालय निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जिला अजमेर	RPSC द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान एवं गणित) परीक्षा 2018
18.	86	सोनीला अग्रवाल	कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	1- RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा 2.सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड- I 3-UPSC द्वारा आयोजित NET 2018 एवं सिविल सेवा परीक्षा 2018 4- RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी 2018
19.	1500	श्री शादाब खान	कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला टोंक	1-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 2-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 3- RPSC द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड- I
20.	1315	श्री सुमेर सिंह	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नवलगढ़	1-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 2-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी 2018
21.	614	श्री सुभाष बैन्धा	कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग जिला जालोर	1-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग विभाग के विभिन्न पदों हेतु एवं सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) 2018 2-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

22.	1860	शिखा जैन	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला दौसा	RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी, उद्योग निरीक्षक एवं सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) 2018
23.	3301	श्रीमती सृष्टि मारु	कार्यालय रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर	यूजीसी नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एण्ड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018
24.	2364	श्री सुभाष जीतरवाल	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीकर	1. Board Of Sec. Edu. Rajasthan द्वारा आयोजित REET 2017 2-RPSC द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक परीक्षा (S.I.)
25.	862	श्री श्रवण राजपुरोहित	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सिरोही	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा आयोजित प्रोग्राम सहायक(कम्प्यूटर) परीक्षा 2017
26.	3250	सरिता	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर	1. UPSC द्वारा आयोजित UGC NET 2017 2. SSC द्वारा आयोजित Scientific Assistant 2017
27.	4177	श्रीमती संतोष दिया	कार्यालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान जिला अजमेर	Board Of Sec. Edu. Rajasthan द्वारा आयोजित REET 2017
28.	2459	श्रीमती शालिनी गुप्ता	कार्यालय पशुपालन विभाग, जिला दौसा	एपीएस सीएसबी पीजीटी 2017 तथा डीएसएसएसबी द्वारा आयोजित पीजीटी कम्प्यूटर साईंस परीक्षा 2017
29.	3884	श्री शैलेन्द्र कुमार बुन्देल	कार्यालय, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, सरवाड जिला अजमेर	रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित टेक्निशियन्स परीक्षा
30.	267	श्री सुनिल कुमार शर्मा	महिला रोजगार कार्यालय जयपुर	1-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 2-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी 2018
31.	3673	श्री सुभाष जलथानिया	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	1- RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक/माध्यमिक परीक्षा 2-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक एवं सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता विभाग) परीक्षा 2018
32.	W-738	श्री सुभाष चन्द्र सेनी	कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	1- RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा 2. UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा 3-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक परीक्षा

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

33.	2476	श्री सुभाष विश्णोई	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	1-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 2-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक 3- RPSC द्वारा आयोजित उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
34.	2404	शालिनी रुणवाल	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान जयपुर	1-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 2-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी एवं सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता)
35.	W-666	श्री सतीश कुमार बाजिया	कार्यालय समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर	1-RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Exam. 2018 2-RPSC द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक परीक्षा (S.I.) एवं सहायक वन संरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड- I 3-RSMSSB द्वारा आयोजित उद्योग प्रसार अधिकारी एवं सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता)

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित सूचना सहायक।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(4554) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था / 14 / 00152/2018 जयपुर, दिनांक 27/04/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती/सुश्री एकता राव, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती/सुश्री एकता राव, सूचना सहायक को RAS PRE-2018 की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

R

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाडा को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती/सुश्री एकता राव, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाडा।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

R

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(4172)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/100135/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 26/04/2018

सुश्री दीपिका शर्मा, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। सुश्री दीपिका शर्मा, सूचना सहायक को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्रं.सं.	परीक्षा का नाम	चयन बोर्ड/संस्था
1	कर सहायक परीक्षा 2018	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
2	उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018	
3	सुपरवाइजर (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा 2018	

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

2

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेषाधिकारी, कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुश्री दीपिका शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

2

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(3834)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00134/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 26/04/2018

श्री दिनेश बेडा, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री दिनेश बेडा, सूचना सहायक को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित सुपरवाईजर (महिला अधिकारिता) की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ग के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ग में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

P

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सहायक निदेशक, कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता नागौर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री दिनेश बेडा, सूचना सहायक, कार्यालय महिला अधिकारिता, नागौर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

P

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(2103)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00132/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 26/04/2018

श्री धनेश जैन, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री धनेश जैन, सूचना सहायक को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर.ए.एस. 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

R

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री धनेश जैन, सूचना सहायक, कार्यालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

R

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(574) / डी.ओ.आई. टी./संस्था / 14/0031/2018 जयपुर, दिनांक 26/04/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती/सुश्री आशा जैन, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती/सुश्री आशा जैन, सूचना सहायक को RAS EXAM-2018(RPSC) AND WOMEN SUPERVISOR EXAM-2018(RSMSSB) की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

P

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एसीपी(उपनिदेशक), कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती/सुश्री आशा जैन, सूचना सहायक, कार्यालय कार्मिक विभाग(कम्प्यूटर सैल), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

P

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री पुष्पा, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। सुश्री पुष्पा, प्रोग्रामर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित वैज्ञानिक एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस) 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झुन्झुनू।
2. सुश्री पुष्पा, प्रोग्रामर, कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)